न्यायालय - माननीय राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर म.प्र. कैम्प भोपाल.

प्र.क्र. /2017 निग0
I/निगरानी/विदिशा/भू०रा०/2017/3860

श्रीमति दौलीबाई पत्नि अमोलसिंह लोधी,
निवासी ग्राम - सुआखेड़ी, तह.-गुलाबगंज,
जिला-विदिशा. ----- निगरानीकर्ता

बनाम

1. दीनदयाल पुत्र भैयालाल लोधी, निवासी - ग्राम - सुआखेड़ी, तह. -गुलाबगंज, जिला-विदिशा.

2. श्रीमति शीलवती पत्नि राममोहन कपूर, कृषक ग्राम - सुआखेड़ी, तह.-गुलाबगंज, जिला -विदिशा, हाल मुकाम - पंचशील पार्क एम्स साहिबाबाद, जिला -गाजियाबाद (उ.प्र.) . ----- रिस्पां.गण

अभिभाषक श्री के. एस. राजपूत
द्वारा आज दिनांक 9/10/17
को पेश।
अधीक्षक

निगरानी अंतर्गत धारा - 50 म.प्र.भू.रा.संहिता, 1959

माननीय महोदय,

सेवा में यह निगरानी अधिनस्त न्यायालय श्रीमान् एस.डी.ओ. महोदय, ग्यारसपुर , जिला - विदिशा के राजस्व प्र.क्र.76 अपील 2016-17 दौली बाई बनाम दीनदयाल आदि में पारित आदेश दिनांक 15.9.17 के विरूद्ध अंदर म्याद पेश की जा रही है।

निगरानी के तथ्य :-

1. यह कि, निगरानीकर्ता ग्राम - सुआखेड़ी की निवासी होकर ग्राम - सुआखेड़ी स्थित भूमि सर्वे क्र. 39 रकबा 0.219 हे0 स्वत्व एवं आधिपत्य धारी कृषक है, इस भूमि को निगरानीकर्ता ने वर्ष 1993 में रिस्पां.क्र. 2 के भाई एवं आम मुख्तयार श्री शिवेन्द्र कुमार पुत्र दौलतराम

---2

नि भ0 दौलीबाई

XXXIX(a)-BR(H)-11

दोलीबाई / दीनदयाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक / निगरानी / विदिशा / भू0रा0 / 2017 / 3860 **जिला** – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.10.2017	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 76 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आलोच्य आदेश द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपर कलेक्टर विदिशा के पत्र दिनांक 19.09.2017 के प्रकाश में प्रकरण अपर कलेक्टर को प्रेषित किया गया है। प्रकरण में उनके द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है। आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर अभी अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रशासकीय सदस्य	